



कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)

CIN No. U40109MP2001SGC14882

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

फोन नं. : 0761-2702615

ई मेल : mppgcl@mp.nic.in

फैक्स नं.: 0761-2665805

वेबसाइट : www.mppgenco.nic.in

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/उ.स.एक/1436 जबलपुर, दिनांक 11-04-2017

आदेश

परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रोत्साहन हेतु म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी-3/9/2001/1/3 दिनांक 25.07.2001 /07.08.2001 के प्रावधान पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. के आदेश क्रमांक 01-01/चार/4335/98/796 दिनांक 08.10.2001 (सहपठित क्रमांक 01-01/चार/4335/98/322 दिनांक 11.03.2002 एवं क्रमांक 01-01/चार/4335/98/410 दिनांक 06.04.2002) द्वारा निम्नानुसार लागू किये गये थे :-

- (1) एक जीवित बच्चे के बाद स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की जायेंगी ।
- (2) दो जीवित बच्चों के बाद स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी ।

तत्संबंध में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी-3-11/2016/1/3 दिनांक 09.02.2017 को म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. में "शासकीय सेवक" के स्थान पर यथावश्यक परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) "कंपनी सेवक" प्रतिस्थापित कर, कंपनी में पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. के आमेलित/कार्यरत कार्मिकों एवं कंपनी द्वारा नियुक्त नियमित कार्मिकों के लिए उक्त प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित कर ग्राह्य किया जाता है :-

- (1) एक जीवित संतान के बाद स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने संबंधी सुविधा यथावत रहेगी ।
- (2) दो जीवित संतान के पश्चात् नसबंदी कराये जाने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।

उपरोक्त प्रावधान आदेश प्रसारित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

आदेशानुसार,


(ए.के. नेमा)

अति. मुख्य अभियंता,
कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.),
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/उ.स.एक/1437 जबलपुर, दिनांक 11-04-2017
प्रतिलिपि -

1. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता(संचा.संधा.-उत्पा.)/(ईंधन प्रबंधन)/(सिविल अभि.)/(अभियांत्रिकी)/(परि.-उत्पा.)/(सामग्री प्रबंधन)/(नवीनी.एवं आधुनिकी.)/(संचा.संधा.-जलविद्युत)/(कारपोरेट सर्विसेस), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता(उत्पादन), संगंताविगृ/अताविगृ/सताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि. म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा ।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
4. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसा. एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि./ म.प्र.पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर ।
5. मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
6. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
7. अति.मुख्य अभियंता (उत्पा.-भंडार)/(टीएचसी), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/सिरमौर ।
8. कार्यपालक सहायक सम्बद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., भोपाल ।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., सारनी ।
10. अधीक्षण अभियंता (संचा.संधा.)/(उत्पा.), गांधीसागर/राजघाट/पेंच/राअवासा/मडीखेडा/बाणसागर-दो/तीन/चार,म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., गांधीसागर/चंदेरी/तोतलाडोह/वरगीनगर/शिवपुरी/ देवलौद/सिलपरा/झिन्ना ।
11. अधीक्षण अभियंता (सिविल) जलविद्युत संधा.-सर्वे.एवं अन्वे., म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
12. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस)/संगंताविगृ/अताविगृ/सताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि/टॉस जविगृ, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/ खण्डवा/सिरमौर ।
13. स्टाफ आफीसर/निज सहायक सम्बद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (वाणिज्य)/(तकनीकी), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
14. सहायक अभियंता (आई.टी.-वेबसाईट प्रभारी), कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।- वेबसाईट पर अपलोड हेतु !
15. स्थापना/पेंशन शाखा, कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर
16. आदेश नस्ती ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


 (एस.के. देशपाण्डे)
 संयुक्त सचिव-एक,
 कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.),
 म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर